न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 01/2017

(आरसीएमएस नम्बर :— 2017/00001)

उनवान प्रकरण

तुहीराम पुत्र गणेशी जाति गोलापूरब निवासी ग्राम सादिकपुर तहसील व जिला धौलपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

1—नायब तहसीलदार उप तहसील मंनिया तहसील व जिला धौलपुर
2—तहसीलदार तहसील धौलपुर .....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार मंनिया
तारीखी 05.02.1983 बावत नामान्तरकरण
संख्या 219 बॉके ग्राम सादिकपुर
तहसील धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :—
अपीलान्ट की ओर से :— श्री यतीन्द्र कुमार त्यागी एडवोकेट
रेस्पोडेन्टस की ओर से :— श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 219 आराजी नम्बर 796 रकवा 01वीधा 15 विस्वा बांके ग्राम सादिकपुर तहसील व जिला धौलपुर का अपीलान्ट गैरखातेदार काश्तकार था। अपीलान्ट ने उपजिलाधीश महोदय धौलपुर के यहॉ उनवानी प्रकरण संख्या 86/1981 तुहीराम बनाम रामेश्वर वगैरा वास्ते हुक्म इम्तनाई दवामी व इश्तकरार हक का पेश किया जो दिनांक 19.7.1982 को डिक्री किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश व डिक्री के मुताविक अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 219 के तहत प्रविष्टि कर गैरखातेदार काश्तकार से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। अपीलान्ट ने दिनांक 28.12.2016 को कृषिकार्ड बनवाने हेतु नकल प्राप्त की तब राजस्व रिकार्ड में उसके अंकन गैरखातेदार

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

काश्तकार के थे। अपीलान्ट ने समस्त नकलें प्राप्त की तब नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि नायब तहसीलदार मंनिया द्वारा दिनांक 5.2.1983 को उसके नाम से नामान्तकरण खातेदारी को निरस्त फरमा दिया। नायव तहसीलदार मंनिया द्वारा विधि विरूद्व तरीके से नामान्तकरण आदेश निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि नामान्तकरण निरस्ती तारीख 5.2.1983 खिलाफ कायदे कानून के है तथा नायव तहसीलदार मंनिया ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर मन माने ढंग से निरस्त किया है। नामान्तकरण संख्या 219 के निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर की है जो कि नैसर्गिक न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। फिर भी प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रथक से पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 219 मंसूख फरमाये जाने तथा अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के सर्मथन में नकल नामान्तकरण संख्या 219 ग्राम सादिकपुर, नकल दावा मु0न0 86/81 निर्णय दिनांक 19.7.1982, नकल इक्वालदावा, नकल आदेश 19.7.1982, नकल डिक्री दिनांक 19.7.1982, नकल खसरा गिरदावरी ख0न0 796 ग्राम सांडा, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 318 ग्राम सांडा, छाया प्रति आधार कार्ड पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। उन्होने अपील जबाव पेश किया जिसमें उन्होंने कथन किया कि नामान्तकरण आदेश निरस्ती दिनांक 5.2.1983 इस कारण हुआ कि अपीलान्ट द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना नहीं की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना हेतु इजराय कराकर करना था। पटवारी द्वारा महज फैसला की नकल देखकर नामान्तकरण भरा था वह गलत था। नायव तहसीलदार द्वारा गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर कि डिक्री की इजराय नहीं कराई है इस कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया गया जो कानून सही है। रैस्पो0 को कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश नामान्तकरण खोलने का नहीं होगा तब तक नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता। अपीलान्ट को नामान्तकरण खारिज होने का पूरा ज्ञान था। अदालत एस.डी.ओ. द्वारा जारी की गई डिक्री दिनांक 19.7.1982 को हुई करीव 35 वर्ष पश्चात अब डिक्री व फैसला वे असर हो चुके है। अपीला अपीलान्ट म्याद के बाहर पेश की गई है जो काबिल खारिजी के है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी की बन्दोवस्ती पूर्व गैरखातेदार काश्तकार था जिसे न्यायालय उप खण्डाधिकारी धौलपुर की डिक्री दिनांक 19.7.1982 से गैरखातेदार से खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। न्यायालय के आदेश व डिक्री के मुताविक अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 219 के तहत प्रविष्टि कर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

गैरखातेदार काश्तकार से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। नायब तहसीलदार मंनिया द्वारा दिनांक 5.2.1983 को उसके नाम से नामान्तकरण खातेदारी को निरस्त फरमा दिया जो कानून के खिलाफ है। नायव तहसीलदार मंनिया ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर मन माने ढंग से निरस्त किया है। नामान्तकरण संख्या 219 के निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर की है जो कि नैसर्गिक न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट को खातेदार दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि नामान्तकरण आदेश निरस्ती दिनांक 5.2.1983 इस कारण हुआ कि अपीलान्ट द्वारा विधि के प्रावधानो की पालना नहीं की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री की अनुपालना हेतु इजराय कराकर करना था। पटवारी द्वारा महज फैसला की नकल देखकर नामान्तकरण भरा था वह गलत था। नायव तहसीलदार द्वारा गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर कि डिक्री की इजराय नहीं कराई है इस कारण नामान्तकरण खारिज कर दिया गया जो कानून सही है। रैस्पो0 को कोर्ट द्वारा स्पष्ट आदेश नामान्तकरण खोलने का नहीं होगा तब तक नामान्तकरण नहीं खोला जा सकता। एस. डी.ओ. द्वारा जारी की गई डिक्री दिनांक 19.7.1982 को हुई करीव 35 वर्ष पश्चात अब डिक्री व फैसला वे असर हो चुके है। अपीला अपीलान्ट म्याद के बाहर पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि न्यायालय के आदेश व डिक्री के मुताविक अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 219 के तहत प्रविष्टि कर गैरखातेदार काश्तकार से खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया तथा नायब तहसीलदार मंनिया द्वारा दिनांक 5.2.1983 को उसके नाम से नामान्तकरण खातेदारी को निरस्त फरमा दिया। नामान्तकरण संख्या 219 को निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर की गई हैं। पत्रावली उप उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 219 का हमने अवलोकन किया। उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा उप जिलाधीश धौलपुर के आदेश दिनांक 19.7.1982 के तहत अपीलान्ट तुहीराम को गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करने बावत अंकन कर गिरदावर को पेश किया गया है जिस पर गिरदावर ने डिक्री की इजराय नहीं है आदेश प्राप्त कर आदेश चस्पा होने का नोट अंकित किया है तथा नायव तहसीलदार मंनिया द्वारा दिनांक 5.2.1983 को उक्त नामान्तकरण खारिज करते हुये इजराय कराने पर नामान्तकरण पुनः भरा जाने का आदेश अंकित है इससे यह जाहिर होता है कि उक्त नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही अपीलान्ट की बैक पर की गई हैं। जो कि नैसर्गिक न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है तथा काबिल खारिजी के है। अतः उपरोक्त

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार मंनिया को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 219 आदेश नायव तहसीलदार मंनिया दिनांक 05.02.1983 ग्राम सादिकपुर तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायव तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner